भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1819

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि

1819. श्री सुधाकर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दिए गए ऋणों में बढ़ती गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के अनुपात का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो एमएसएमई ऋणों में वर्तमान गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान इनमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात को कम करने और लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे समाधान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋण अनुशासन को सुदृढ़ करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऋण चुकौती क्षमताओं में सुधार करने में सहायता करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कुल अग्रिम बकाया -निधिपोषित, सकल एनपीए और सकल एनपीए अनुपात संबंधी आंकडे निम्नानुसार हैं।

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि (की स्थिति के अनुसार)	कुल एमएसएमई अग्रिम बकाया -(निधिपोषित)	सकल एनपीए	सकल एनपीए (%)
31-03-2020	16,97,836	1,87,255	11%
31-03-2021	18,45,188	1,60,464	9%
31-03-2022	20,44,788	1,54,991	7%
31-03-2023	23,92,319	1,30,869	5%
31-03-2024	28,04,511	1,25,217	4%

स्रोत: आरबीआई

उपर्युक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि भले ही एमएसएमई क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़े हैं, लेकिन एमएसएमई क्षेत्र के सकल एनपीए और सकल एनपीए अनुपात में इसी अवधि के दौरान लगातार कमी आई है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025 अर्थात दिनांक 31.12.2024 तक के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र के सकल एनपीए और सकल एनपीए अनुपात दोनों में गिरावट आई है।

(ग): पिछले कुछ वर्षों में दबावग्रस्त/एनपीए खातों के समाधान के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सभी विनियमित संस्थाओं को कवर करते हुए समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते डाले जाने को अभिशासित करने वाला एक व्यापक विनियामकीय ढांचा जारी किया गया है।

ii. आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) जैसे पात्र अंतरणकर्ताओं को दबावग्रस्त आस्तियों के अंतरण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, समान अवसर प्रदान करने के लिए, एआरसी को उन स्थानों पर ऋण अर्जन करने की अनुमति दी गई है जहां धोखाधड़ी का पता चला है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 29.5.2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना (का.आ. संख्या 1432 (अ) के माध्यम से एमएसएमई के खातों में दबाव को दूर करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा' को अधिसूचित किया है।

iv. बैंकों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण नीति और ऋण वसूली नीति तैयार करने और उसे लागू करने, मुख्यालय में वसूली प्रकोष्ठों की स्थापना करने, विभिन्न स्तरों के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित करने और वसूली निष्पादन की गहन निगरानी करने, ऋणदाताओं के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुदृढ बनाने आदि की सलाह दी गई है।

वित्तीय स्थिरता के संबंध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, रिजर्व बैंक का विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचा अन्य बातों के अतिरिक्त, ग्राहकों के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों की ओर उन्मुख है। विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए उनके जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आनुपातिकता के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। आरबीआई ने पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को सुदृढ बनाने और इसे अधिक दूरदर्शी, जोखिम-उन्मुख और विश्लेषणात्मक बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिसका उद्देश्य असुरक्षित क्षेत्रों, उधारकर्ताओं और दबाव के समाधान की पहचान करना है।

(घ): आंकडे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ): सरकार द्वारा एमएसएमई से संबंधित एनपीए सहित एनपीए को कम करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आईबीसी के तहत एक पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) का परिचालन किया गया है, ताकि एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक दक्ष वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके, जिससे सभी हितधारकों के लिए त्वरित, लागत प्रभावी और मूल्य को अधिकतम करने वाले परिणाम इस तरीके से सुनिश्चित किए जाएं, जिससे उनके व्यवसायों की निरंतरता में कम से कम बाधा आए और रोजगार भी सुरक्षित रहे।

ii. समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए ऋणदाताओं को अंतर्निहित प्रोत्साहन के साथ आरबीआई द्वारा वर्ष 2019 में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य दबाववग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए ढांचा प्रदान करना था।

iii. कोविड-19 विनियामकीय पैकेज के भाग के रूप में, एमएसएमई ऋणों पर अधिस्थगन की अवधि बढ़ाने, मार्जिन को कम करके आहरण शक्ति (डीपी) की पुनर्गणना करने और/या कार्यशील पूंजी चक्रों का पुनर्मूल्यांकन करने, समाधान रूपरेखा 1.0 और 2.0 आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए।

iv. केंद्रीय बजट (2024-25) में एमएसएमई को उनकी दबावग्रस्त अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने को सुकर बनाने के लिए एक नए तंत्र की घोषणा की गई है।

*****